

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण में सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की सूची

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) (xvi) के तहत)

क्र.सं.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और दूरभाष नं.	विषय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम पदनाम और दूरभाष नं.
1.	श्री रवि रोशन, प्रशासनिक अधिकारी दूरभाष नं. 23380535 ई-मेल: ravi.roshan@nma.gov.in	खरीद, एनएमए का रख-रखाव सहित लेखा और स्थापना आदि	कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक दूरभाष नं. 23380532 ई-मेल: director@nma.gov.in
2.	श्री साहिब सिंह, परामर्शदाता (प्रशासन) दूरभाष नं. 23072864 ई-मेल: cons-admn@nma.gov.in	एनएमए का प्रशासन	
3.	श्री नारायण महापात्र, परामर्शदाता (प्रणाली विश्लेषक- एनओसी) दूरभाष नं. 23072724 ई-मेल: sys-analyst3@nma.gov.in	केंद्रीय संरक्षित संस्मारकों के प्रतिषिद्ध/विनियमि त क्षेत्रों के समीप/आसपास निर्माण/नवीकरण के लिए एनओसी	
4.	सुश्री आकांक्षा नन्दा , परामर्शदाता (संरक्षण वास्तुविद) दूरभाष नं. 23380531 ई-मेल: architect2@nma.gov.in	केंद्रीय संरक्षित संस्मारकों के विरासत उप- नियम	
सूचना का अधिकारी (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 के खण्ड 3 के उपबंधों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए सभी अनुरोधों के साथ (क) उचित रसीद के विरुद्ध नकद अथवा (ख) डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा अथवा (ग) भारतीय डाक आदेश के तरीके से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के सदस्य-सचिव को देय 10 रु. का आवेदन शुल्क संलग्न करना होगा।			

पारदर्शिता अधिकारी: श्री भास्कर वर्मा, आईसीएएस, एनएमए

आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के तहत प्रकाशनार्थ अपेक्षित नियमावली

नियमावली-1	संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण	वेबसाइट पर उपलब्ध है	होम और राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के बारे में
नियमावली-2	इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्ति और कार्य	वेबसाइट पर उपलब्ध है	नियम और अधिनियम
नियमावली-3	इसके द्वारा धारित अथवा नियंत्रणाधीन या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्य के निर्वहन के लिए प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली और रिकॉर्ड	वेबसाइट पर उपलब्ध है	नियम और अधिनियम 1. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 2010 2. राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण नियमावली, 2011 सक्षम प्राधिकारी नियमावली, 2011
नियमावली-4	ऐसी किसी भी व्यवस्था का विवरण जो इसकी नीतियों के निर्माण अथवा इसके कार्यान्वयन के संबंध में जन-सदस्यों के परामर्श से अथवा उनके प्रतिनिधित्व में विद्यमान हो।	उपलब्ध	1. राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से 2. परिपत्र और सूचना 3. राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त अपलोड करके धरोहर उप-नियमों का प्रारूप अपलोड करके
नियमावली-5	इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण	लागू नहीं	
नियमावली-6	इसके भाग के रूप में बनाए गए बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण	वेबसाइट पर उपलब्ध है	राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण 1. प्रोफेसर किशोर के. बासा, अध्यक्ष, एनएमए 2. श्री टी. एन तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, एनएमए 3. प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य 4. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य 5. श्री भास्कर वर्मा, आईसीएस, सदस्य सचिव, एनएमए (आई/सी)
नियमावली-7	पर्यवेक्षण के चैनल सहित निर्णयन प्रक्रिया का अनुपालन करने की प्रक्रिया	वेबसाइट पर उपलब्ध है	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण नियम, 2011
नियमावली-8	इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	वेबसाइट पर उपलब्ध है	“एनएमए के बारे में” के तहत टैब देखें
नियमावली-9	इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को प्रतिपूर्ति प्रणाली सहित प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जैसा कि इसके विनियमों में दिया गया है		
नियमावली-10	इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित किया गया बजट	लागू नहीं	लागू नहीं
नियमावली-11	आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका	लागू नहीं	लागू नहीं
नियमावली-12	इसके द्वारा प्रदान की गई रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकृतों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
नियमावली-13	अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड	उपलब्ध	1. प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियमावली, 2011 2. राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण नियमावली, 2011
नियमावली-14	जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है	उपलब्ध	राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की बैठकों का कार्यवृत्त
नियमावली-15	नागरिकों को सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या पठन कक्ष के कार्यसमय सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
नियमावली-16	निर्धारित की गई अन्य उपयोगी जानकारी	लागू नहीं	लागू नहीं